रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16112026-277960
CG-DL-E-16112026-277960

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 888] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 16, 2026/कार्तिक 25, 1948
No. 888] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 16, 2026/KARTIKA 25, 1948

## गृह मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवंबर, 2026

**सा.का.नि. 995(अ).—** केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 50) की धारा 22 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय में उप–निरीक्षक (मोटर परिवहन) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा विंग, उप–निरीक्षक (मोटर परिवहन), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

### 2. पद–संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर

पद–संख्या, वर्गीकरण तथा उनसे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं आदि**

उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं तथा अन्य बातें वे होगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता**

कोई भी व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, जिसका पति या पत्नी जीवित है या

(ख) जिसका पति या पत्नी जीवित है और उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत विधि के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी हैं।

**5. चिकित्सा मानक**

(1) इन नियमों के अधीन नियुक्त होने वाले व्यक्तियों को शेप–। (एस एच ए पी ई) चिकित्सा मानकों को पूरा करना होगा।

(2) "शेप–। (एस एच ए पी ई)" के प्रयोजनों के लिए, चिकित्सा श्रेणी गृह मंत्रालय या संबंधित बल द्वारा समय–समय पर जारी कार्यकारी अनुदेशों द्वारा विनियमित होगी, अर्थात् –

एस – मानसिक/मनोरोग संबंधी समस्याएं,

एच – श्रवण, अर्थात् कान संबंधी रोग,

ए – ऊपरी अथवा निचले अंगों, यानी हाथों और पैरों से संबंधित समस्याएं,

पी – अन्य रोगों से संबंधित कारक, जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह (उच्च रक्त शर्करा), मोटापा (अधिक वजन), कैंसर, और

ई – दृष्टि अथवा नेत्र संबंधी रोग ।

(3) भर्ती प्रक्रिया के दौरान विस्तृत चिकित्सा परीक्षण, गृह मंत्रालय द्वारा यू.ओ. संख्या ए-VI-1/2014-भर्ती (एस एस बी), दिनांक 20 मई 2015 के माध्यम से जारी संशोधित दिशा–निर्देशों तथा समय–समय पर उच्चतर गठन द्वारा जारी अन्य संबंधित अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

**6. भारत के गैर–नागरिकों की अपात्रता**

कोई भी व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं हैं। केन्द्रीय सरकार की पूर्व लिखित अनुमति के बिना, इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा :

परंतु इस नियम में अंतर्विष्ट कोई बात नेपाल या भूटान के किसी नागरिक को बल में नियुक्ति या नियोजन पर लागू नहीं होगी।

**7. अधिवर्षिता**

(1) इन नियमों के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति उस माह के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवा से सेवानिवृत्त होगा, जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है :

परंतु जिस व्यक्ति की जन्म–तिथि माह की पहली तारीख है, वह अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवा से सेवानिवृत्त होगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु से आगे सेवा में कोई विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।

## 8. शिथिल करने की शक्ति

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिये जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, आदेश द्वारा किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंधों को शिथिल कर सकती है।

## 9. व्यावृत्ति

इन नियमों की कोई बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण, आयु–सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों के संबंध में, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को प्रभावित नहीं करेगी।

## अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन पद है अथवा गैर–चयन पद | सीधी भर्ती के लिए आयु–सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| उप–निरीक्षक (मोटर परिवहन) | 81 *(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | स्तर–6, (रू 35,400–1,12,400) | चयन पद | लागू नहीं होता। |

| सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं। | क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत। |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं। | लागू नहीं। | दो वर्ष । | पदोन्नति द्वारा, जिसके विफल होने पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा। |

| पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे श्रेणियां जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा। | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है। | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा। |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| **(i) पदोन्नति** :– वे सहायक उप–निरीक्षक (मोटर परिवहन), जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर–5(रू 29200–92300) में हैं और पद पर छह वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं, तथा जिनकी चिकित्सा श्रेणी शेप–। (एस एच ए पी ई) है और जिन्होंने केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित उप–निरीक्षक (मोटर परिवहन) का पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया है।<br><br>**टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली प्रोन्नति के लिए विचाराधीन हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियो के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा परन्तु वह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होनें ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, | समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल है<br><br>(1) महानिरीक्षक, खण्ड मुख्यालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल – अध्यक्ष;<br>(2) उप–महानिरीक्षक, क्षेत्र या संयंत्र, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल – सदस्य;<br><br>(3) सहायक महानिरीक्षक या कमांडेंट, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संबन्धित क्षेत्र) – सदस्य ; और<br><br>(4) सहायक महानिरीक्षक या कमांडेंट, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (क्षेत्र अथवा संयंत्र से बाहर के) –सदस्य। | लागू नहीं होता। |

| | | |
|---|---|---|
| अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिये अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।<br><br>**(ii) प्रतिनियुक्ति** :– केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी –<br><br>(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों ; या<br><br>(ख) जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर–5 (रू 29200–92300) में पद धारण किए हुए हों तथा उस ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों ; और<br><br>(ग) जिनकी चिकित्सा श्रेणी शेप–। हो।<br><br>**टिप्पण 1** : फीडर श्रेणी के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।<br><br>**टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केन्द्रीय सरकार, के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारण किए गए किसी अन्य संवर्ग–बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी और किसी भी स्थिति में पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br><br>**टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। | | |

**[**फा. सं. ई–32012/01/2018/स्था.–।**]**

वीरेन्द्र कुमार मिश्रा, निदेशक

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th November, 2026

**G.S.R. 995(E).—** In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 22 of the Central Industrial Security Force Act, 1968 (50 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Sub-Inspector (Motor Transport) in the Central Industrial Security Force, Ministry of Home Affairs, namely :-

**1. Short title and commencement**. – (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Central Industrial Security Force, Security Wing, Sub-Inspector (Motor Transport), Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification and level in pay Matrix**. - The number of post, its classification and level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualification**. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Medical Standard**.- (1) The persons, to be appointed under these rules shall fulfil the SHAPE-I medical standards.

(2) For the purposes of "SHAPE-I", the medical category shall be governed by the executive instructions issued from time to time by the Ministry of Home Affairs or Forces concerned, that is, **S** – Psychiatric problems, **H** – Hearing (Ear diseases), **A** – Appendages pertains to the problems of upper or lower limbs, that is, arms and legs, **P** - Factor is related to other disease like Hypertension (High Blood Pressure), Cardiac disease (Heart Diseases), Diabetes (High Sugar), Obesity (being Fat – overweight), Cancer and **E** – Eye sight or Eye diseases.

(3) Detailed medical examination shall be conducted during recruitment process as per revised guidelines issued by the Ministry of Home Affairs, vide UO No.A-VI-1/2014-Rectt (SSB), dated the 20th May,2015 and other related instructions issued by higher formation from time to time.

**6. Ineligibility of non-citizens of India.** – No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall apply to the appointment or employment of the subject of Nepal or Bhutan in the Force.

**7. Superannuation.** – (1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of month in which such person attains the age of sixty years:

Provided that the person whose date of birth is the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the specified age of retirement on superannuation.

**8. Powers to relax**. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**9. Savings**.– Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| **Name of post.** | **Number of post.** | **Classification.** | **Level in pay matrix.** | **Whether selection post or non-selection post.** | **Age limit for direct recruits.** |
|---|---|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** |
| Sub- Inspector (Motor Transport). | 81* (2026) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted Non-Ministerial. | Level - 6 (Rs. 35400-112400) | Selection post. | Not applicable. |

| **Educational and other qualifications required for direct recruits.** | **Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.** | **Period of probation, if any.** | **Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.** |
|---|---|---|---|
| **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** |
| Not applicable. | Not applicable. | Two years. | By promotion failing which by deputation. |

| **In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.** | **If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.** | **Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.** |
|---|---|---|
| **(11)** | **(12)** | **(13)** |
| (i) **Promotion**:- From amongst Assistant Sub-Inspector (Motor Transport) in Level-5 (Rs.29200-92300) of the pay matrix with six years regular service in the rank being in medical category SHAPE-1 and have successfully completed promotion cadre course of Sub-Inspector (Motor Transport) prescribed by the Central Government from time to time.<br><br>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.<br><br>(ii) **Deputation**: Officers of the Central Government or the State Government or the Union territory administration:<br><br>(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or<br><br>(b) holding post in Level-5 (Rs.29200-92300) with six years regular service in the grade; and<br><br>(c) should be medical category SHAPE-I.<br><br>Note 1.: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. | Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :<br><br>(1) Inspector General, Central Industrial Security Force of Sector HeadQuarter<br>– Chairman;<br><br>(2) Deputy Inspector General, Central Industrial Security Force of Zone or Plant<br>– Member;<br><br>(3) Assistant Inspector General or Commandant, Central Industrial Security Force of the respective Sector<br><br>– Member; and<br><br>(4) Assistant Inspector General or Commandant, Central Industrial Security Force (from outside the Zone or Plant) – Member. | Not applicable. |

| | | |
|---|---|---|
| Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years and in no case shall exceed five years.<br><br>Note 3: The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. | | |

[F.No.E-32012/01/2018/Estt.I]

VEERENDRA KUMAR MISHRA, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

BHABAJIT DEKA Digitally signed by BHABAJIT DEKA Date: 2026.11.16 22:24:44 +05'30'